मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 195/2025

कृष्णलाल पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी पण्डितावाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

—वादी

बनाम

1– विमला देवी पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी वार्ड नंबर 14, मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 10/09/2025

वादी की ओर से श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से श्री संदीप सैन व राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद वादी डिक्री किया जाता है **–चक 3 पीडब्ल्यूएम के खाता सं. 9/63 की कुल 17.206 है0 भूमि में प्रतिवादी सं. 1 विमला देवी के नाम दर्ज भूमि में से 1.163 है0 का वादी कृष्णलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमि विमला देवी की यथावत रहेगी। तथा चक 38 एनडीआर–टीपी के खाता सं. 2/29 की कुल तादादी 18.413 है0 भूमि में वादी कृष्णलाल के नाम दर्ज कुल 1.163 है0 कृषि भूमि की प्रतिवादी सं. 1 विमला देवी को खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है।**

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी /बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 10/9/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:34:28 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा